निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 श्रावण 1937 (श0)
(सं0 पटना 899) पटना, बुधवार, 5 अगस्त 2015

t y l l k/ku foHkkx

अधिसूचना
20 t ykbl 2015

सं० 22/ नि0सि0(सम0)–02–16/2011/1622——श्री राजीव कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल संख्या–1, झंझारपुर के पदस्थापन अवधि में प्रमंडलान्तर्गत भूतही बलान नदी के दाँयें एंव बाँयें तटबंध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा कटाव निरोधक कार्यों में अनियमितता तथा घटिया ईंटों के उपयोग किये जाने संबंधी आरोपों की जाँच विभागीय उड़नदस्ता अंचल से करायी गयी। उड़नदस्ता से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी एवं समीक्षोपरान्त भूतही बलान दाँयें एवं बाँयें तटबंध के विभिन्न आक्राम्य स्थलों पर कराये गये कटाव निरोधक कार्यों में निम्न श्रेणी एवं कम पके हुए ईंटों का उपयोग कर तथा ब्रीक क्रेटिंग कार्य में औसत 82.68 प्रतिशत साबूत ईंट का उपयोग कर विशिष्टि के अनुरूप कार्य नहीं करने तथा वित्तीय अनियमितता के लिए प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए विभागीय पत्रांक 1860 दिनांक 04.12.14 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण पूछा गया।

श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण/बचाव बयान में यह तथ्य अंकित किया गया है कि भूतही बलान के बाँये तटबंध के विभिन्न आक्राम्य स्थलों पर कराये गये कटाव निरोधक कार्य में प्राक्कलन के अनुरूप 100 बी0 श्रेणी के पके हुए ईंटों का उपयोग किया गया है जो उड़नदस्ता दल द्वारा कराये गये ईंटों की जाँच के जाँचफल से भी प्रमाणित है। कार्य कराने के दौरान अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, दरभंगा के दिनांक 29.01.2011 को निरीक्षण के क्रम में उनके द्वारा इंगित आपूरित निम्न श्रेणी के ईंटों को कार्यस्थल से हटाकर 100 बी0 श्रेणी के पूर्ण पके हुए साबूत ईंटों का उपयोग किया गया है। इसकी सम्पुष्टि अधीक्षण अभियंता, दरभंगा के निरीक्षण प्रतिवेदन 18.02.2011 से होती है। उड़नदस्ता को भी जाँच के क्रम में कहीं भी निम्न श्रेणी के ईंट देखने को नहीं मिला। अध्यक्ष, अनुवीक्षण दल द्वारा दिनांक 08.03.11 को स्थल निरीक्षण के क्रम में दिये गये निर्देश के आलोक में 5 अद्द क्रेटों से कम पके हुए ईंटों को हटाकर 100 बी0 श्रेणी के पूर्ण पके हुए साबूत ईंटों से क्रेटिंग करा दिया गया जिसकी सम्पुष्टि अध्यक्ष के अगले दौरे दिनांक 10.04.11 से 17.04.11 तक के निरीक्षण प्रतिवेदन से होती है।

कार्य कराने (दिनांक 10.01.11 से 29.01.11) के लगभग 5 माह बाद (दिनांक 31.05.11 से 02.06.11) उड़नदस्ता दल द्वारा क्रेटों की जाँच की गयी। भूतही बलान नदी से बालू की ढुलाई ट्रैक्टर द्वारा जहाँ–तहाँ की जाती हैं। साथ ही साथ गाँव के लोग मवेशी को पानी पिलाने तथा घास चराने के लिए भी नदी में ले जाते हैं। वैसी स्थिति में क्रेटिंग पर ट्रैक्टर अथवा मवेशी के परिचालन से भी साबूत ईंट के टूटने की संभावना बनती है। बाहरी कारक के कारण ही साबूत ईंट टूटकर एक जगह सटकर व्यवस्थित रह सकता है, टुकड़ों के ढेर से एक ईंट के दो टुकड़ों को खोजकर एक जगह व्यवस्थित करना संभव नहीं है।

श्री सिंह द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि क्रेटों में ईंट की गिनती में कमी नहीं पायी गयी, जाँच में सभी ईंटों के कम्प्रेसिव स्ट्रेन्थ औसतन मान्य सीमा के समतुल्य हैं एवं अन्य निर्धारित विशिष्टियों के समकक्ष है तथा कार्य करने के दौरान कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता तथा अध्यक्ष, अनुवीक्षण दल द्वारा निरीक्षण के क्रम में कभी भी क्रेटों में टुकड़ा लगाने की शिकायत नहीं की गयी है। क्रेटों में प्राक्कलन के अनुरूप 100 बी0 श्रेणी के पूर्ण पके हुए साबूत ईंटों का उपयोग किया गया है। अतः इसमें किसी तरह की वित्तीय अनियमितता नहीं हुई है।

श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि अधीक्षण अभियंता, दरभंगा एवं अध्यक्ष, अनुवीक्षण दल के निरीक्षण के बाद उड़नदस्ता जाँच दल द्वारा संग्रहित ईंटों के Average Compressive Strength एवं Water Absorption निर्धारित विशिष्टि के अनुरूप पाये जाने के आधार पर निम्न श्रेणी एवं कम पके हुए ईंटों का उपयोग कर वित्तीय अनियमितता करने का आरोप प्रमाणित नहीं होता है जबकि उड़नदस्ता जाँच दल द्वारा स्थलीय जाँच के क्रम में पाया गया कि भूतही बलान के दाँयें एवं बाँयें तटबंध के विभिन्न आक्राम्य स्थलों पर कटाव निरोधक कार्य के ब्रीक क्रेटिंग कार्य में औसतन 82.88 प्रतिशत साबूत ईंट एवं 17.32 प्रतिशत ईंटों के टुकड़े का उपयोग किया गया है। उड़नदस्ता जाँच दल द्वारा यह कहा गया है कि गिनती के समय ईंट के दो टुकड़े भी देखे गये जिसे हटाकर व्यवस्थित किया गया था। श्री सिंह द्वारा बचाव बयान/स्पष्टीकरण में कहा गया है कि क्रेटिंग पर ट्रैक्टर अथवा मवेशी के परिचालन से भी साबूत ईंट के टूटने की संभावना बनती है पर इनके द्वारा क्रेटिंग पर ट्रैक्टर अथवा मवेशी के परिचालन से क्षतिग्रस्त होनेवाले ईंटों के प्रतिशत के बारे में कोई अधिसूचित या अभिलेखीय साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है।

उड़नदस्ता जाँच दल द्वारा दो अदद ब्रीक क्रेट खुलवाये गये –

(i) दाँया भूतही बलान तटबंध के 0.69 कि0 मी0 से 2.00 कि0 मी0 तक।

(ii) बाँया भूतही बलान तटबंध के 2.60 कि0 मी0 से 3.30 कि0 मी0 तक।

एवं दोनों तटबंध के पूरी लम्बाई (LBBE–0–23–78 कि0 मी0 तथा RBEE–0–29–00 कि0 मी0) के लिए निष्कर्ष अंकित किये गये।

विशिष्टि के अनुरूप ब्रीक क्रेटिंग कार्य में शत–प्रतिशत साबूत ईंटों का उपयोग किया जाना था परन्तु श्री सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता द्वारा ऐसा नहीं किया गया है।

इस प्रकार समीक्षोपरान्त श्री सिंह के विरूद्ध भूतही बलान के दाँयें एवं बाँयें तटबंध के विभिन्न आक्राम्य स्थलों पर कराये जा रहे कटाव निरोधक कार्य के ब्रीक क्रेटिंग कार्य में औसतन 82.68 प्रतिशत साबूत ईंट तथा 17.32 प्रतिशत ईंट के टुकड़े का उपयोग कर विशिष्टि के अनुरूप कार्य नहीं कराने का आरोप प्रमाणित पाया गया है।

उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री राजीव कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल संख्या–1, झंझारपुर को निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया हैः–

(i) एक वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

तदालोक में उक्त दण्ड श्री राजीव कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल संख्या–1, झंझारपुर को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 899-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in